



3662



फ्री-होल्ड विलेख

सत्यमि अभियंता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

मालिकता विक्रय पत्र ...रु0 3,88,673.00

बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया है रु0 3,89,000.00

पूर्व में वाद सं0 66/92, धारा 33/38 स्टाम्प ऐक्ट के अन्तर्गत देय स्टाम्प शुल्क रु0-22,185/-

स्टाम्प शीट की संख्या...01.....

स्टाम्प शुल्क रु0 100/- आवास विकास शुल्क सहित कुल स्टाम्प का योग रु0 100/-

मैं/हम कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर, लडाखपुर रोड, देहरादून। 1/CNO-102 M.D/O.

समाप्ति सं0 117ए' अफमतल उच्च आय वर्ग प्रथम इन्दिरापुरम फेज-भवन देहरादून।

को मालिक व काबिज है और हमारी सम्पति हर प्रकार के भार व रहन से मुक्त है, उसको बंदस्त श्री अमरपाल सिंह बिष्ट पुत्र स्व0श्री अर्जुन सिंह बिष्ट निवासी- भवन संख्या- 117ए, उच्च आय वर्ग प्रथम इन्दिरापुरम फेज- प्रथम देहरादून। यह नाम पत्र संख्या- LRJ/192/5098

विक्रय कर दिया है.....लेखानुसार.....को निम्नप्रकार... लेखानुसार.....वसूल पाया

लेखानुसार, विवरण सहित.....लेखानुसार.....बाकें.....लेखानुसार.....

[Handwritten signature]

ARL

सत्यमि अभियंता
[Handwritten signature]
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

सत्यमि अभियंता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

दिनांक..... 2

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

77301

-2-

फी-होल्ड विलेख

हम कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा आबंटित भवन का स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु यह विलेख सन 2011 ई0 के माह के वें के दिन को (जिसको एतद्वारा प्रथमपक्ष कहा गया है) तथा श्री अमरपाल सिंह निष्ठ पुत्र स्व0 श्री अर्जुन सिंह बिष्ट निवासी- भवन संख्या- 117ए, उच्च आय वर्ग प्रथम इन्दिरापुरम फेस- प्रथम देहरादून। (जिसको एतदपश्चात द्वितीयपक्ष कहा गया है) के मध्य निष्पादित किया जाता है। और चूंकि इस विलेख की अनुसूची में निदिष्ट भवन द्वितीयपक्ष को आबंटित हुआ था। आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निदिष्ट भवन सहित भूमि का स्वामित्व मू0 3,87,023/- (रुपये तीन लाख सत्तासी हजार तैईस मात्र) के एवज में द्वितीयपक्ष को हस्तान्तरित किया जाना है। और चूंकि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति सं0 117ए प्रथमतः उच्च आय वर्ग प्रथम इन्दिरापुरम फेस-प्रथम देहरादून। का स्वामित्व आवासीय प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है। और चूंकि जनपद देहरादून की महायोजना/आसपास की भूमि के भू-उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित भवन का आवासीय उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है।

अतः द्वितीयपक्ष द्वारा अनुसूची में वर्णित भवन का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट आसपास की भूमि के भू-उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित भवन का आवासीय उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है। अतः द्वितीयपक्ष द्वारा अनुसूची में वर्णित भवन का भू-उपयोग के अनुसार ही किया जायेगा। अतः उत्तरप्रदेश में अपनी प्रकृति के सम्बन्ध में सर्वप्रथम पर तथा-संशोधित उ0प्र0 नगर योजना एवं विजयत आर्देनम 1973, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 संपठित, उत्तरप्रदेश संख्या 1639/9-आ-1-95-80 मिस/86 दिनांक 10.06.1996 तथा उत्तरप्रदेश संख्या 1770/9-आ-1-95-80 मिस/86 दिनांक 24.5.95 के अनुसारण में यह विलेख शाही है,

(Signature)

(Signature)

कमिश्नर

उत्तराखण्ड विकास प्राधिकरण
मसूरी देहरादून विभाग
देहरादून

महानगर प्रशासक
(Signature)
मसूरी देहरादून विभाग
देहरादून

कि अनुसूची में वर्णित भवन का स्वामित्व द्वितीयपक्ष के पक्ष में घोषित किये जाने हेतु द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को मु० ३,८७,०२३/- (रुपये तीन लाख सतासी हजार तैईस मात्र) प्राधिकरण कोष में किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका पट्टागत भवनों का फ्री-होल्ड भवनों में परिवर्तन अनुमन्त्र है। और चूंकि द्वितीयपक्ष ने उसके द्वारा धारित पट्टागत भवन सहित गूग्नि निजी स्वत्व वाली (फ्री-होल्ड गूग्नि) घोषित करने तथा उस पर द्वितीयपक्ष को निजी स्वत्व प्रदान किये जाने हेतु उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिया है और चूंकि पट्टागत भवन को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये उपबन्धों के अनुसार उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून को आवेश संख्या २१२७/९-आ-१-९६-२१३ डी.ए./९४ दिनांक ८.७.९६ द्वारा आकलित एवं निर्धारित सम्पूर्ण धनराशि मु० १,६५०/- (रुपये एक हजार छः सौ पचास मात्र) द्वितीयपक्ष द्वारा जमा कर दिये जाने पर प्रथम पक्ष एतद्वारा आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित पट्टागत भवन को निजी स्वत्व वाला (फ्री-होल्ड) भवन घोषित करने तथा उस पर द्वितीयपक्ष को निजी स्वत्व प्रदान करने हेतु सहमत है। और चूंकि उत्तरप्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर यथा-संशोधित ३०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा-१९ ३०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम १९६५ सपठित शासनादेश संख्या १६३९/९-आ-१-९५-८० मिस/८६ दिनांक १० मई १९९५ तथा शासनादेश सं० १७७८/९-आ-१-९५-८० मिस/८६ दिनांक २४.५.९५ के अनुसरण में उक्त पट्टागत भवन को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः उक्त दृष्टिगत निधि एवं शासनादेशों के अनुसरण में निष्पादित यह विलेख साक्षी है, कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भवन द्वितीयपक्ष के पक्ष में फ्री-होल्ड (निजी स्वत्व) घोषित करने हेतु द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को मु० १,६५०/- (रुपये एक हजार छः सौ पचास मात्र) प्राधिकरण कोष में किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष एतद्वारा स्वीकार करते हैं) के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका द्वितीयपक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखते हुये प्रथमपक्ष एतद्वारा वह राशि भवन उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है। को फ्री होल्ड घोषित करते हैं। उस पर द्वितीयपक्ष को निजी स्वत्व प्रदान करते हैं। अतएव द्वितीयपक्ष उसके दावधिकारी तथा समनुवंशिनी सदा के लिए अपने अधिकार में रखेगा।

[Handwritten signature]

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

[Handwritten signature]

कमरा-४

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


विलेख में अभिदिष्ट अनुसूचि निम्नवत् है।

सम्पत्ति सं० 117ए प्रथमतल उच्च आय वर्ग प्रथम इन्दिरापुरम फेज-प्रथम देहरादून।
कुल कवर्ड क्षेत्रफल 110.00 वर्ग मीटर तथा कुल बेटेड क्षेत्रफल 150.00 वर्ग मीटर।
जिसकी सीमायें निम्नप्रकार है:-

पूरब में:- :- भवन सं० 118ए उच्च आय वर्ग।
पश्चिम में:- :- प्राधिकरण भूमि।
उत्तर में:- :- भवन संख्या- 146 उच्च आय वर्ग।
दक्षिण में:- :- सड़क।

फी-होल्ड के लिए द्वितीयपक्ष ने सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3,88,673/- (रुपये तीन लाख अठासी हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) प्राधिकरण कोष में जमा करा दी है।

संयुक्त प्राधिकरण के नाम
पर श्री अरजुन सिंह बिष्ट के नाम पर प्राधिकरण
या उनके द्वारा प्राधिकृत


द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

नाम :- श्री अमरपाल सिंह बिष्ट पुत्र स्व श्री अर्जुन सिंह बिष्ट निवासी- भवन संख्या-
117ए, उच्च आय वर्ग प्रथम इन्दिरापुरम फेज- प्रथम देहरादून।


कभश-5

सत्या प्रमाणित




केता का नाम एवं पता :- श्री अमरपाल सिंह बिष्ट पुत्र स्व श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
निवासी- नवन संख्या- 117ए, उच्च आय वर्ग प्रथम इन्दिरापुरम फेज- प्रथम देहरादून।

बायें हाथ (सगलि भदक) की अंगुलियों के चिन्ह



दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह



समर्थन अधिकारी
सदस्य देहरादून विभागत प्राधिकरण
देहरादून

MPK/01

द्वितीयपक्ष / केता के हस्ताक्षर

साक्षी सं० 2

नाम व पता

साक्षी सं० 1

नाम व पता

सदस्य देहरादून विभागत प्राधिकरण

देहरादून

11/12/2019






11/12/2019

सदस्य देहरादून विभागत प्राधिकरण

देहरादून

परिच्छेद 2-ए के अनुपालन हेतु निम्नलिखित
 प्रमाण पत्र/सिद्धांत का नाम एवं पता:— मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 नगर सहायनपुर रोड देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुली	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
				

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुली	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
				

[Handwritten signature]

सम्पत्ति अधिकारी
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
 देहरादून

[Handwritten signature]

सत्य जातेलिया
[Handwritten signature]
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
 देहरादून

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 22-ए के अनुपालन हेतु निम्न विवरण

प्रथम पक्ष / विक्रेता का नाम एवं पता:- मन्सूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
नगर सहारनपुर रोड देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह



अंगुली

सर्दानी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा



दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुली

सर्दानी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा



सहारा

समिति अधिकारी
मन्सूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

सत्य प्रतिलिपि
Charp
सहारा
पता, की 21




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK24738331646090P
Certificate Issued Date	: 04-Jul-2017 05:38 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1201404/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120140449722601854170P
Purchased by	: VINITA BHATT
Description of Document	: Article Miscellaneous
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: VINITA BHATT
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: VINITA BHATT
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)



[Signature]
JANARDAN PRASAD
 STAMP VENDOR, No. 37
 COURT COMPOUND, DEHRADUN

-----Please write or type below this line-----

बही नं० 1 4479 के पृष्ठ 37 पर
 एंडीअफ में नं० 3662 के पृष्ठ 48
 को रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत किया जाकर 23/4/17

फोटो कापी जांचक *[Signature]*

[Signature]
 सत्यम लिमिटेड
 सीब रजिस्ट्रार (प्रभाग)
 देहरादून

[Signature] 10/7/2017

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.sholestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

[Signature]
 सत्यम लिमिटेड
 देहरादून

पंजाब

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्रा. अकरण, देहरादून ।

क्रमांक: 2110 / बीन्दरापुरम-102 HIG-I-117-A दिनांक: 30-9-91 / 27 मार्च 1991

सेवा में,

श्री: अमर पट्ट: सिंह
... 3/10 श्री: जंजू सिंह
... 79, मुख्य रोड - देहरादून

विषय:- बीन्दरापुरम निरंजनपुर का सी. देहरादून आवासीय योजना में निर्मित उच्च आय वर्ग-1 का आवंटन पत्र ।

महोदय/महोदया,

प्राधिकरण में आपके पंजाब के सन्दर्भ में आपको सर्व सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्ग के अन्तर्गत प्रथम-विक्रय प्रणाली में अनुमोदित नियम एवं शर्तों पर सन संख्या 117-A आवंटित किया जाता है ।

धन का अनुमानित मूल्य ₹23,45,000/- है जिसमें से आपने संजीव्य राशि ₹2,50,000/- जमा कर लिया है और अब आपको आरक्षण धनराशि कबो से पूर्व निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी।

1. ~~₹1,13,000/-~~ दिनांक 31-8-91 (31-8-91)
2. ~~₹1,13,000/-~~ ~~₹1,13,000/-~~
3. ~~₹1,13,000/-~~ ~~₹1,13,000/-~~
4. ~~₹1,13,000/-~~ ~~₹1,13,000/-~~

आरक्षण शर्तों/शर्तों के अन्तर्गत देय तिथि के बाद एक मास के अग्रिम अर्ध देय अर्धों तथा पचास देय तिथि को दिनांक पिछली-विक्रय का शान्त का भुगतान हो जाता है तो वस्तु विक्रय पर कोई अग्रिम अर्ध नहीं देय अर्धों । यदि अग्रिम अर्धों के बाद भुगतान किया जाता है तो भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक दर से पेनल ब्याज का भुगतान करना होगा । पेनल ब्याज अर्धवत्सल तान महीने का अर्धों देय होगा । यदि देय तिथि के बाद तीनों महीने के अन्दर पेनल ब्याज अर्ध भुगतान नहीं किया जाता तो दिनांक सूचना दिवस आवंटन का समाप्त माना जायेगा ।

प्रस्ता. - 21


उपरोक्त धनराशि का भुगतान आपको मसूरा देहरादून विकास -
प्राधिकरण के अंतर्गत में बैंक आप बंदोबा ^{11.2.2011} ~~ए.एस.एन.~~ देहरादून के माध्यम से
जमा करना होगा।

आवंटित भवन के निर्माण कार्य तथा अंतर्गत बिजली सुचना भवन
निर्माण पूर्ण होने के बाद आवासीय भवन के पूर्व पथक रूप से भेजी जायेगी।
भवन के अनुमानित मूल्य व अन्ततम मूल्य के अन्तर को धनराशि का समायोजन
कब्जे से पूर्व दिया जायेगा। ~~प्राप्त होने के बाद भवन का भौतिक कब्जा जून 01~~
~~तक दिये जाने की सम्भावना है।~~

आवंटित को 90 वर्ष के पट्टे पर भवन का भूमि दी जायेगी तथा भूमि
के कुल मूल्य के 10% की दर से पट्टे पर कराया आवंटित को भवन का कब्जा -
लौपते से पूर्व भुगतान करना होगा।

इस योजना के सम्बन्ध में अंतिम व शर्तों योजना के ब्रोसर में
दिये गये विवरण के अनुसार ही वास्तविक निष्पत्ति अनुपातन आवंटित को करना
होगा।

भवदीय,


30/1/11
अध्यक्ष/लायव/सम्पत्ति अधिकारी,
मसूरा देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।